रेलवे उत्पादन ईकाई एवं मेन्टीनेंस डिपो बचाओ दिवस के अवसर पर विरोध प्रदर्शन

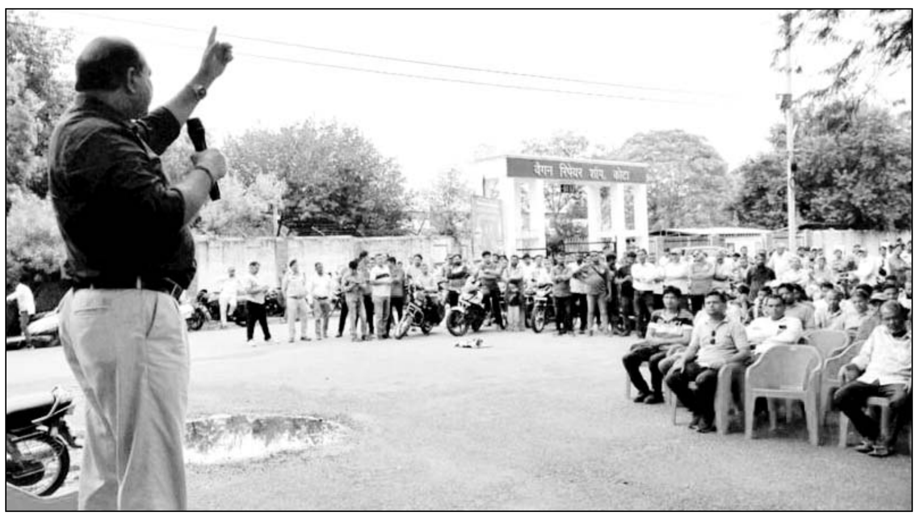

रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करके नाराजगी जताई है।

कोटा, (निसं)। ऑल इण्डिया रेलवेमैन्स फैडरेशन के आव्हान पर वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन कोटा मंडल के समस्त मुख्यालय कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, बयाना, भरतपुर, तुगलकाबाद, रामगंजमंडी शामगढ़ विक्रमगढ़ आलोट, बारां, बूंदी में रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे उत्पादन ईकाई एवं मेन्टीनेंस डिपो का निजीकरण, निगमीकरण करने के विरोध में विशाल विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने वैगन रिपयेर शॉप कारखाना कोटा के मेनगेट पर आमसभा को संबोधित करते हुये कहा कि केन्द्र सरकार लगातार देश की तमाम राष्ट्रीय सम्पत्तियों को बेचने, निगमीकरण करने पर आमादा है। इसी तारतम्य में वह रेलवे पर भी अपनी नजर गढ़ाये हुये है। रेलवे हमारे देश का महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसने गलत दिशा ले ली है रेलवे में चन्द कारोबारी घरानों को फायदा पहुंचाने के लिये जल्दबाजी में नीतियां बनाई जा रही है। रेल मंत्रालय कई दशकों से एक प्रेरक शक्ति बना हुआ है। भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। पिछले वर्षों में पूर्व रेलमंत्री पीयूष गोयल पूरे भारत में चलने वाली 150 ट्रेनों के निजीकरण का प्रस्ताव लेकर आये थे। संसद में और फैडरेशन के साथ होने बैठकों में बार-बार कहा है कि सरकार की रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है।

लेकिन अन्ततः उन्होनें भारत भर में 150 ट्रेनों की आपूर्ति और संचालन के लिये निजी फर्मों के लिये बहुत बड़ी निविदा के साथ लाया गया। इन निजी ट्रेनों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली भारतीय रेलों की सरकारी ट्रेनों पर महत्व दिया जाना था और लगातार दो तीन बार निजी ट्रेनों की निविदा निकाली गई पर उसके लिये बोली असफल हो गई और निविदा को छोड़ना पड़ा इसके पीछे कही न कहीं एआईआरएफ जैसे शक्तिशाली संगठन की संगठित शक्ति की घोषणा का कमाल था कि एआईआरएफ ट्रेनों के निजीकरण नहीं होने देगा जिससे निविदाकर्ता असमंजस में थे इसके पश्चात अश्विनी वैष्णव ने रेलमंत्री के रूप में कार्यभार सम्भालतें ही साझा किया कि सरकार रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है हालांकि सरकार को ऐसा लगता है कि रेलवे का बादशाह वहीं होगा जो बड़े पैमाने पर निजीकरण लायेगा और उसके लिये वर्ष 2022 महत्वपूर्ण है।

जैसे हम वर्ष 2024 की ओर बढ़ते है रेलों के निजीकरण के परिणामस्वरूप आम चुनावों में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिये अगर रेलों का निजीकरण करना है तो वर्ष 2022 में कर लेना चाहिये इसीलिये वर्तमान रेलमंत्री रेलवे के निजीकरण को तेजी से आगे बढ़ा रहे है जो निविदाओं के रूप में हल्की गति से प्रकाशित की जाती है। ताकि उन्हें रेलवे यूनियन फैडरेशन के शोर शराबे के बिना निजी फर्मों को दिया जा सके। गालव ने बताया कि इसी श्रृंखला में 23 सितम्बर को पूरे भारतीय रेलवे के साथ साथ पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों जबलपुर, कोटा, व भोपाल के समस्त कार्यस्थलों, मंडल और शाखा मुख्यालयों पर रेलवे उत्पादन ईकाई एवं मेन्टिनेंस डिपों बचाओं दिवस मनाते हुये विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। गालव ने रेल प्रशासन को चेतावनी देते हुये कि निजीकरण को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे।

वैगन रिपेयर शॉप कारखाना कोटा मेन गेट पर हुई आमसभा की अध्यक्षता कारखाना अध्यक्ष घनश्याम मीणा ने की इस आम सभा को अरविंद सिंह सचिव जसवंत सिंह ने भी संबोधित किया साथ में यूनियन पदाधिकारी ओम प्रकाश राजपूत प्रशांत गौतम आरके दत्ता मनोज गुप्ता अब्दुल सलाम पीयूष मौर्य प्रसनजीत रईस मोहम्मद बबीता चौहान गीता पेशवानी संतरा मीणा कमलेश मीणा चेतराम मीणा विनोद शर्मा सहित सैकड़ों सक्रिय सदस्य एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

न्यास का दो दिवसीय शिविर संपन्न 212 आवेदकों को स्वामित्व मिला

नगर विकास न्यास, कोटा
प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021
आज मेरा काम हुआ मैं खुश हूँ
'हमेशा आपके साथ हूँ'
अशोक गहलोत

नगर विकास न्यास के द्वारा पट्टे प्रदान किए गए।

कोटा, (निसं)। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में राज्य सरकार के अभूतपूर्व अभियान प्रशासन शहरों के संग के तहत लगातार नगर विकास न्यास द्वारा वार्ड वार शिविर आयोजित कर आवेदकों को सरकार द्वारा अभियान के तहत दी जा रही विशेष छूट का लाभ देते हुए उनके भूखंड एवं आवासों का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है।

अभियान के दूसरे चरण के तहत लगातार नगर विकास न्यास की ओर से वार्ड वार शिविर आयोजित कर एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए आवेदकों को आवास एवं भूखंड के पट्टे बनाकर सौपे जा रहे हैं। कोटा उत्तर निगम के वार्ड नंबर 61 एवं 19 के क्षेत्र वासियों के लिए नयानोहरा शिव पार्वती सामुदायिक भवन में आयोजित दो दिवसीय शिविर शुक्रवार को संपन्न हुआ। शिविर के प्रभारी उपसचिव मोहम्मद ताहिर ने बताया कि दो दिवसीय शिविर के दौरान 212 पट्टे कृषि भूमि पर बसी अनुमोदित कॉलोनियों के आवेदकों को शिविर में तैयार कर सौंपे गए।

शिविर में पहले दिन 104 एवं दूसरे दिन 108 पट्टे बनाकर आवेदकों को मालिकाना हक सौंपा गया। शिविर को लेकर न्यास कर्मचारियों ने क्षेत्र के अश्विनी बिहार विस्तार, धन लक्ष्मी एनक्लेव, मारुती कॉलोनी एनक्लेव, सुमन विहार, अमृत नगर, अमृत धाम, चाणक्य नगर, कार्तिकेय एंक्लेव सहित क्षेत्र की कृषि भूमि पर बसी अनुमोदित कॉलोनियों के क्षेत्रवासियों को शिविर में दी जा रही विशेष छूट एवं शिविर के बारे में जानकारियां दी। शिविर के दौरान सह प्रभारी तहसीलदार कृष्णवतार गर्ग सहित न्यास के कर्मचारी मौजूद रहे।

अगला शिविर 27, 28 सितंबर कुन्हाड़ी वीर दुर्गादास स्टेडियम में- प्रशासन शहरों के संग द्वितीय चरण के तहत वार्ड वार आयोजित हो रहे शिविरो के तहत कोटा उत्तर निगम के वार्ड नंबर 32 एवं 51 क्षेत्र के संगम विहार, आनंद विहार गणपति नगर विस्तार ,पूनम कॉलोनी, विराट नगर, सिद्धिविनायक नगर, श्रीजी नगर, गणपति रेजिडेंसी, न्यू गणपति रेजिडेंसी, पार्वतीपुरम, पार्श्वनाथ पुरम, वृंदावन विहार सहित क्षेत्र की कॉलोनी के क्षेत्रवासी पट्टे के लिए आवेदन कर सकेंगे।

राइट टू हेल्थ बिल में संशोधन की मांग, आईएमए ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया

कोटा जिला कलेक्टर को आईएमए के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।

कोटा, (निसं)। राज्य सरकार ने सितंबर 2022 को विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल सदन में पटल पर रखा जाना निश्चित किया है, इस बिल को पढ़ने के बाद राजस्थान भर के चिकित्सकों में असंतोष है। प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सकों ने इस बिल को पढ़ने के बाद इसमें कई खामियां बताई हैं, जिनका दूर किया जाना प्रदेश की जनता व चिकित्सकों के लिए आवश्यक है।

यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश के चिकित्सकों को आंदोलन की राह चुननी होगी। बिल को पास करने से पूर्ण चिकित्सकों की राय लेकर इसमें संशोधन की मांग को लेकर कोटा आईएमए द्वारा जिलाध्यक्ष डॉ. आरपी मीणा, सचिव डॉ. अखिल अग्रवाल की उपस्थिति में कई चिकित्सकों ने जिला कलक्टर ओपी बुनकर को स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और बिल में संशोधन की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि जनता को अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा निशुल्क चिकित्सा प्रदान करने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हम सभी चिकित्सक आपकी उन योजनाओं का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं, परंतु इस बिल को पढ़ने के बाद चिकित्सक वर्ग में निराशा है।

राज्य स्तरीय प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय प्राधिकरण के सदस्य चयन बोर्ड में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं चिकित्सालय अधीक्षकों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि यह चिकित्सा प्रमुख सर्वाधिक विशेषज्ञता धारण किए हुए हैं तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी चिकित्सा क्षेत्र में शामिल नहीं है। डॉ. आरपी मीणा ने बताया कि इस विधेयक को पारित करने से पूर्व चिकित्सकों के राज्य स्तरीय संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं अन्य कई जिला स्तरीय संगठनों के माध्यम से राज्य के निजी एवं सरकारी सेवा प्रदाता चिकित्सकों के कोई सुझाव सम्मिलित नहीं है, यह इस विधेयक को जल्दबाजी में लागू करना दर्शाता है, इससे राज्य के सभी चिकित्सक आशंकित हैं कि चिकित्सक पूर्ण भयमुक्त वातावरण में आमजन को चिकित्सा दे पाएंगे या अफसरशाही से पीड़ित रहेंगे।

राइट टू हेल्थ विधेयक में चिकित्सकों के निर्बाध चिकित्सा सेवा को परिभाषित नहीं किया गया है। डॉ.आरपी मीणा ने कहा कि आपातकालीन परिस्थिति में निजी चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है कि वह बिना पूर्व भुगतान के रोगी को चिकित्सा दे किंतु निजी चिकित्सालय के धन का भुगतान राज्य सरकार करेगी या कोई अन्य संस्था इसका कोई उल्लेख बिल में नहीं है। अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप चिकित्सकों को स्व केंद्रित सुरक्षा की ओर अधिक प्रेरित कर रोगियों की त्वरित चिकित्सा को विलंब कर सकता है। चिकित्सकों को सरकारी एवं निजी के अधिकारों एवं सुरक्षा को इस विधेयक में परिभाषित ना करना चिकित्सकों के अन्य राज्यों में पलायन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है। विधेयक में प्राधिकरण के सदस्यों को

- **राज्य सरकार ने संशोधन नहीं किया तो आंदोलन को मजबूर होंगे**

विधाई शक्तियां दी गई किंतु साथ ही उनके निर्णय को सक्षम न्यायालय में पीड़ित पक्ष की चुनौती देने के अधिकार का निषेध किया गया है जो कि आमजन के संवैधानिक अधिकार का हनन है। डॉ. अखिल अग्रवाल ने बताया कि इस विधेयक के आमजन के स्तरीय चिकित्सा प्राप्त करने के अधिकांश बिंदु मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा परिभाषित हैं एवं चिकित्सक उन प्रावधानों के अनुरूप चिकित्सा देने को पहले से ही प्रतिबंध है। राज्य के कुल रोगियों का 70 प्रतिशत निजी चिकित्सालय में व छोटे-बड़े सभी मिलाकर के भर्ती एवं आउटडोर चिकित्सा प्राप्तकर्ता हैं। इस विधेयक के द्वारा गठित राज्य एवं जिला प्राधिकरण में निजी क्षेत्र के चिकित्सालय के प्रतिनिधि सम्मिलित करने की कोई सूचना नहीं है, जो कि निजी चिकित्सा सेवा के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है। विधेयक को लागू करने से पूर्व उक्त विसंगतियों को दूर करना ही न्याय संगत है।

चित्र प्रतियोगिता आयोजित

कोटा, (निसं)। महाराजा श्री अग्रसेन सोशल ग्रुप कोटा की ओर से शुक्रवार को अग्रसेन जयंती पखवाड़े पर चित्र प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभांगीय अध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि प्रतियोगिता में नन्हें बाल कलाकारों ने भगवान अग्रसेन के चित्र बनाए गए। जिसमें ऐशिका गोयल को प्रथम पुरस्कार, लविणा मित्तल और मीनल जैन को द्वितीय पुरस्कार तथा आनिया अग्रवाल तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि अन्य सांत्वना पुरस्कार कनिष्का अग्रवाल, विधि मित्तल, शैलेश जैन, पूर्वी बंसल, सुहानी गोयल, आनन्दी अग्रवाल, मोहित ऐरण, जितेंद्र कंसल, तनिष्क जैन, शशांक गोयल, अनुज अग्रवाल, मोहित बंसल को दिया गया। इस दौरान रामबाबू गुप्ता, जिलाध्यक्ष राजकुमार गोयल, परमानंद गर्ग निर्णायक के रुप में मौजूद रहे। इस अवसर पर मुकेश अग्रवाल, राजेश गोयल, सुरेश बंसल, राघवेंद्र गर्ग, टीकम खांड वाला, श्याम गर्ग, दीनदयाल अग्रवाल, अनिल गर्ग ने पुरस्कार बांटे। सभांगीय महामंत्री परमानंद गर्ग ने अग्रसेन जयंती की पूर्व संध्या पर रिद्धि सिद्धि काम्प्लेक्स में भगवान अग्रसेन का दुध, दही, खांड, धृत, शहद, गंगाजल से समग्र अग्रबंधुओ द्वारा महामस्तक 71 किलो दूध दही से करने के लिए सभी समाजबंधुओं को आमंत्रित किया है।

खोया-पाया

शकुंतला खंडेलवाल पत्नी ओमप्रकाश खंडेलवाल 4 B 35 महावीर नगर विस्तार योजना का कब्जा पत्र व अदेय प्रमाण पत्र गुम हो गया है किसी को मिलने पर सूचित करें ।
मो. 8003746763

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक: LU2012/KOT/2022-23/100398 **लोक सूचना** दि. 23.09.2022

श्री BHAIRU LAL पुत्र श्री RAMKALYAN जाति BRAHMAN निवासी 98 SARKARI SCHOOL KE PASS MANPURA KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बोरखंडी, लाडपुरा (कोटा)	BHAIRU LAL S/O RAMKALYAN CASTE BRAHMIN, MANPURA	6	11200	1.12
				कुल	1.12

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा । यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23/09/2022 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा**

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक:-उ.आ.आ./को.वृ.को./2022-2023/2568 **जाहिर आम सूचना** दिनांक: 22.9.22

आवास संख्या 345 महावीर नगर कम्पीटीशन कालोनी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री तुलसीराम पुत्र श्री चम्पालाल को किया गया था। श्री तुलसीराम द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये इकरारनामा, मुख्तारनामा एवं वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 22.01.2001 को श्री रामसिंह पुत्र श्री कंवर सिंह को किया गया। श्री रामसिंह की मृत्यु दिनांक 06.03.2002 को हो गयी, मृत्युपरान्त श्री रामसिंह के वारिस श्री गजराज सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह द्वारा समस्त मूल दस्तावेज क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी वारिसानों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का नियमितिकरण अपने स्वयं के पक्ष में करने हेतु आवेदन किया है।

अत: इस आवास का नियमितिकरण श्री गजराज सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह के नाम करने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास का नियमितिकरण श्री गजराज सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह के नाम किए जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का नियमितिकरण श्री गजराज सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन [अधिनियम 2002 (2002 के नियम 54)]'' और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना दिनांक 24 जून 2021 को निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी हेमन्त कुमार राठौड (ऋणी), कन्हैया लाल (सह-ऋणी व बंधककर्ता), (खाता संख्या: L9001060115377329) से नोटिस में वर्णित ₹ 493697/- (अक्षरे चार लाख तिरानवे हजार छह सौ सतावने मात्र) की राशि इस नोटिस कि प्राप्ति कि दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बन्धकर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बन्धकर्ता को तथा समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 22 सितम्बर 2022 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार ₹ 493697/- (अक्षरे चार लाख तिरानवे हजार छह सौ सतावने मात्र) की राशि दिनांक 24 जून 2021 तक तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर हिस्सा खसरा नं. 1577, ग्राम मंडावरा, तहसील -डीगोड, जिला - कोटा, राजस्थान क्षेत्रफल 760 वर्ग गज जो कि कन्हैया लाल के स्वामित्व में है।

पूर्व : आम रास्ता,
उत्तर : जानकी नाथ का मकान,
पश्चिम : बुद्धि प्रसाद का मकान,
दक्षिण : दीपा बाई का मकान

दिनांक: 22 सितम्बर 2022
स्थान : कोटा

प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पश्चिम मध्य रेल

सामग्री प्रबंधन विभाग

(भंडार आपूर्ति हेतु 'ई'-निविदा सूचना, संख्या EPS/37/2022)

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भारत के राष्ट्रपति की ओर से, ई-खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदाएं आमंत्रित करते हैं। कोई भी हस्तलिखित/डाक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पूर्ण विवरण/विनिर्देशन के लिए website https://ireps.gov.in पर 'ई' निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

Sr. No	Tender No.	Short Description	Tendered Qty.
1	20223446	Set Of Hydraulic Dampers	13 Sets
2	20214062B	Push Pull rod (Traction Bar)	48 Sets
3	30221545	Yaw Damper For All Type Of Lhb Coaches	557 Nos.
4	30221541	Primary Vertical Damper For Fiat Bogie	2071 Nos.
5	30221268A	Non Asbestos Based "K" Type High Friction	8736 Nos.
6	30221671	Entrance Hand Rail Complete	81 Nos.
7	38222319	Control Rod for BOXN wagon Dimensions	3853 Nos.
8	38223404A	Pull Rod Main for BLC	202 Sets
9	38224131	Hand brake pull rod for BOXN HL Wagon	399 Nos.
10	38221624	Vapour Extractor Cock	326 Nos.
11	38221678B	Air hose Coupling Support Duly Assembled	50978 Nos.
12	38224156	Atl Torsion Spring (Steel)	3096 Nos.
13	38223413A	Centre Pivot Top (BLC)	575 Nos.
14	61222041	Set of M.S. M20 hex head bolt (Galvanised)	2205 Sets
15	61222191	Bolt MS black hex head round body	34554 Kgs.
16	80221356	UTS Thermal Paper Ticket Roll	132000 Nos.
17	80221003B	Internal Combustion Engine Crank Case Oils	6300 Litre

Opening Date:- For Sr. Nos. 1 to 17: 20.10.2022.

कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर.

कोरोना से बनाना है दूरी तो वेक्सीन लगवाना है जरुरी।

भाजपा बूथ स्तर पर पं. दीनदयाल जयंती मनायेगी

कोटा, (निसं)। भाजपा कोटा शहर जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी तथा सेवा पखवाड़ा के जिला संयोजक मुकेश विजय, सहसंयोजक हरिहर गौतम, सीमा भारद्वाज के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा द्वारा सेवा पखवाड़े के रूप में अनेकों सेवा कार्य कर मनाया जा रहा है।

इसी क्रम में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जयंती को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा द्वारा बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। पंडित दीनदयाल जयंती कार्यक्रम के प्रभारी जिला महामंत्री जगदीश जिंदल, सहसंयोजक जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र राही ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को भाजपा जिला पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्ष की बैठक संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती को बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। 24-25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को कमलोउत्सव के रूप में मनाया जाएगा। घरों पर भाजपा के झण्डे, स्टीकर लगाये जायेंगे। पं दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि कि जायेगी।

- **25 सितंबर को भाजपा कोटा शहर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना जायेगा**

प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मोर्चा, प्रकोष्ठ पदाधिकारी, मण्डल प्रभारी, पार्षद, बूथ स्तर पर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सोशल मीडिया द्वारा कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जायेगा। भाजपा कोटा शहर द्वारा 25 सितंबर को टिपटा रोड स्थित दीनदयाल पार्क में पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जायेगा।

मन की बात कार्यक्रम के जिला समन्वयक मुकेश विजय, संयोजक देवेंद्र राही, सहसंयोजक सीमा भारद्वाज ने बताया की पं दीनदयाल उपाध्याय जयंती के पश्चात 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा शहर कोटा द्वारा बूथ स्तर पर सुना जायेगा। बैठक का संचालन जिला महामंत्री चंद्रशेखर नरवाल, धन्यवाद जिला मंत्री हरिहर गौतम ने दिया।

जल सप्लाई के आंशिक बाधित रहने की संभावना

रामगंजमंडी,(निसं)। रामगंजमंडी पचपहाड़ परियोजना के आम्बा कुई इन्टेक वेल पर आ रही 33 किलोवाट पावर लाइन आरएपीपी 132 केवीए जीएसएस पर गुरुवार रात से पॉवर फाल्ट होने से बंद थी। जिसे शुक्रवार को रावतभाटा बाड़ोली जीएसएस से 2 बजे जोड़कर चालू की गई है। जिससे 18 घंटे तक जल उत्पादन बन्द होने से शुक्रवार शाम को होने वाली जल सप्लाई चेचट मोड़क गांव, मोड़क स्टेशन पर बाधित रही है। 24 सितम्बर शनिवार को प्रात: शहरी क्षेत्र रामगंजमंडी को होने वाली जल सप्लाई आंशिक बाधित रहने की संभावना है। साथ ही रावली पम्प हाउस से जुड़े साथलखेड़ी, खैराबाद व ग्रामीण क्षेत्र में भी जल सप्लाई बाधित रहेगी।

कार्यालय नगर निगम, कोटा-उत्तर

क्रमांक:-ननिको. (उ.)/जोन प्रथम/2022/7734-35 दिनांक: 20.9.22

-: सार्वजनिक विज्ञप्ति :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सर्म्पूणा जारौली पत्नी स्व. श्री श्रवण कुमार जारौली निवासी-म.न. 132 बल्लभबाडी गुमानपुरा कोटा स्थित भूखंड क्षेत्रफल 1381.25 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।

आवास/भूखंड म.न. 132 बल्लभबाड़ी गुमानपुरा कोटा स्थित भूखंड का आवंटन कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा (राजस्थान) द्वारा दिनांक 05.05.1984 को श्री इन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री भूर सिंह गहलोत के पक्ष में जारी किया गया था। श्री इन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री भूर सिंह गहलोत ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2004 को श्री श्रवण कुमार जारौली पुत्र स्व. श्री ख्यालीलाल जारौली के पक्ष में विक्रय की गई।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार आवास/भूखंड म.न. 132 बल्लभबाड़ी गुमानपुरा कोटा स्थित उक्त भूखंड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित रुप से अधो-हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर

वर्ल्ड हेरिटेज ग्लोबल टू लोकल पुस्तक का विमोचन

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने शुक्रवार को उनके कक्ष में वर्ल्ड हेरिटेज ग्लोबल टू लोकल पुस्तक का विमोचन किया। पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सूचना एवं जन संपर्क विभाग राजस्थान डॉ.प्रभात कुमार सिंघल, सीनियर सेक्शन इंजिनियर मध्य-पश्चिमी रेल मंडल, कोटा अनुज कुच्छल और शिखा अग्रवाल पूर्व व्याख्याता अंग्रेजी ने संयुक्त रूप से लिखी है। पुस्तक की प्रस्तावना राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय के संभागीय अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार श्रीवास्तव ने लिखी है।जिला कलेक्टर ने कहा कि हर नागरिक को देश की विरासत पर गर्व होना चाहिए। एक जगह सभी विरासत को पुस्तक में उपलब्ध कराने के लिए लेखक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हाड़ौती में उपलब्ध हेरिटेज पर भी काम किया जाना चाहिए। विमोचन अवसर पर उपस्थित पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा ने कहा की भारत की विरासत वाली यह पुस्तक पर्यटन विकास में उपयोगी होगी। डॉ. दीपक कुमार श्रीवास्तव, लेखक अनुज कुमार कुच्छल, एडवोकेट अख्तर खान और वरिष्ठ पत्रकार के.डी. अब्बासी भी उपस्थित थे। लेखक डॉ.सिंघल ने बताया कि पुस्तक में यूनेस्को द्वारा अब तक भारत की घोषित 40 विश्व विरासत को शामिल किया गया है। अंग्रजी भाषा में संभवत: यह प्रथम अद्यतन पुस्तक है।

विद्यार्थियों को स्टेशनरी दी

कोटा, (निसं)। ग्रामीण क्षेत्र में पीने की पानी को एकत्रित करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को मीलो चलकर घड़े को सिर पर रखकर लाना होता है ऐसे में वह बहुत मेहनत कर कुछ लीटर पानी ही एकत्रित कर पाती है। इस समस्या के समाधान के लिए मुंबई में वाटर ऑन व्हील की थीम पर शहर के इनरव्हील क्लब ने सामाजिक सरोकार में अनोखी पहल की है। मंडाना के पास मुकुंदपुरा गांव की 13 महिलाओं को लुढ़काकर चलाने वाली 45 लीटर की टंकियां निशुल्क दी हैं। इससे महिलाओं को दूर-दराज से पानी सिर पर रखकर नहीं लाना होगा और एक साथ 45 लीटर आसानी से ला सकेंगे। क्लब अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल ने बताया कि कोटा में यह पहला प्रयोग है। महिलाओं को दूर-दराज हैंडपंप या जोहड़ से पीने के पानी को लाने में आसानी होगी।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल झालरापाटन

क्रमांक/न.पा.झा.पा./भू.उप.परि./2022/4070-73 **विज्ञप्ति** दिनांक:-23.9.2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि/2020 जयपुर दिनांक 24 फरवरी 2021 के अंतर्गत बनाये गये भू उपयोग परिवर्तन नियम 2010 (संशोधन 2021) में गठित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से अधोलिखित प्रकरण में भू उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। एतद् यदि किसी व्यक्ति/संस्था को इस भू उपयोग परिवर्तन से कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। बाद अवधि प्राप्त आपत्तियों पर विचार करना संभव नहीं होगा। शेष जानकारी कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	राजस्व ग्राम/ कस्बा का नाम	नाम आवेदक	खसरा नं. व भूखंड सं.	भूमि क्षेत्रफल वर्गफीट	वर्तमान भू उपयोग	परिवर्तन चाहने वाला भू उपयोग	मास्टर प्लान में भू उपयोग	आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजस्व कस्बा झा. पाटन स्थित महात्मा गांधी कालोनी झा. पाटन तह. झा. पाटन जिला झालावाड़	श्री कृष्ण मोहन गुर्जर पुत्र स्व. श्री सुजान सिंह गुर्जर निवासी किसान ट्रेडिंग कम्पनी, मैन मार्केट पुरानी न.पा. के पास झा. पाटन जिला झालावाड़ (राज.)	खसरा नं. 532 में स्थित महात्मा गांधी कालोनी के भूखंड सं. 53	17+130/2x 130+198/2 =12054 वर्गफीट या 1120.26 वर्गमीटर	आवासीय प्रयोजनार्थ	व्यावसायिक उपयोग हेतु	सड़क मार्गाधिकार छोड़ने के उपरांत फुटकर व्यापार व सामान्य वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ	15 दिवस तक

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका झालरापाटन